

UP Electricity Regulatory Commission Lucknow

No. UPERC/Secy/SAC/2021-080

Dated: 28May, 2021

Notification

In pursuance to Section 87 of the Electricity Act, 2003 and under Clause 3 of the UP Electricity Regulatory Commission (Constitution of State Advisory Committee and its functioning) Regulations, 2004 notified vide no. 3870/UPERC/Regulation-2004 dt. 24th August, 2004, the State Advisory Committee (SAC) is being constituted with following Members:

Sr. No.	Members of Committee	Designation / Address
1	Chairman, UPERC	Ex-officio Chairman vide Section 87 (3) of the Electricity Act, 2003
2	Member, UPERC	Ex-officio Member vide Section 87 (3) of the Electricity Act, 2003
3	Member, UPERC	Ex-officio Member vide Section 87 (3) of the Electricity Act, 2003
4	Principal Secretary, Energy Department, Govt. of U.P.	Ex-officio Member vide Section 87 (3) of the Electricity Act, 2003
5	Principal Secretary Food & Civil Supplies Department, Govt. of U.P	Ex-officio Member vide Section 87 (3) of the Electricity Act, 2003
6	Principal Secretary, Irrigation Department, Govt. of U.P.	Member by Designation, Sachiwalay Lucknow-226001
7	Principal Secretary (Agriculture), Govt. of U.P.	Member by Designation, Sachiwalay Lucknow-226001
8	Principal Secretary Urban Development, Govt. of U.P.	Member by Designation, Sachiwalay Lucknow-226001
9	Managing Director, U.P. Power Corporation Ltd.	Member by Designation, Shakti Bhawan, 14 Ashok Marg, Lucknow-226001
10	Managing Director, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.	Member by Designation, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. 4A-Gokhale Marg, Lucknow

11	Director, NEDA	Member by Designation, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Luckow-226010
12	Director Commercial & Planning (UPPTCL)	Member by Designation, Shakti Bhawan, 14 Ashok Marg, Lucknow-226001
13	Ms. Deepa Jainani	Member, Senior Correspondent, Financial Express, Lucknow
14	Shri Avadhesh Kumar Verma	Member, Chairman, U. P. Rajya Vidyut UPbhokta Parishad, A-1391/7, Indira Nagar, Lucknow
15	Shri Reji Pillai	Member, President, Indian Smart Grid Forum, CBIP building, Malcha Marg, Channakyapuri, New Delhi.
16	Managing Director, Lucknow Metro Rail Corporation	Member by Designation, 2/62U, Lohia Park Rd, Vishal Khand 2, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010
17	CII/IIA/PHDCCI Assocham / (by rotation)	Member, Chairman, or his senior representative, UP State Council, Confederation of Indian Industry, Plot-A, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
		President, or his senior representative, IIA Central Office, IIA Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
		Regional Director, or his senior representative, PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, Near Apna Bazar, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
		Smriti Bhawan, R, Vipul Khand 6, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010
18	Shakti Sustainable Energy Foundation	Member, Shakti Sustainable Energy Foundation, The Capital Court, 104B, 4 th Floor, Munirka Phase III, New Delhi-110067
19	Director/Head Plant	Member

	Prayagraj /Rosa/Lalitpur/Lanco by rotation as representative of IPP	
20	Dr. Bharat Raj Singh, DG	Member, DG, School of Management Sciences, Sky Hi Plaza, IInd Floor, 5 Park Road, Hazratganj, Lucknow-226001 (U.P.)

In addition to the above, the Commission reserves the right to invite separately two reputed power sector experts in the country and any reputed lawyer having wide exposure to power sector issues, to whom, actual class air fares shall be admissible.

Secretary UPERC shall be convenor of meetings for State Advisory Committee. This order shall come into effect from the date of its issuance subject to notification under section 87 (1) of Electricity Act, 2003 and shall supersede the notifications issued in the past for constitution of State Advisory Committee.

By order of the Commission

Sanjay Kumar Singh Secretary

3

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ अधिसूचना

संवः यू०पी०ई०आर०सी० / सचिव / सैक / 2021- 080

दिनांक : <u>२</u> ८ मई, 2021

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति का गठन और उसके कृत्य) विनियमावली, 2004, जो संख्या 3870 / यूपीईआरसी / रेग्यूलेशन—2004 दिनांक 24, अगस्त, 2004 के अन्तर्गत अधिसूचित की गई थी, की धारा 3 के अधीन, निम्न सदस्यों सहित राज्य सलाहकार समिति (एस०ए०सी०) का गठन किया जाता है:—

क्रम	समिति के सदस्य	पद / पता
संख्या		
1	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	पदेन अध्यक्ष, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(3) के अनुसार
2	सदस्य, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(3) के अनुसार
3	सदस्य, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(3) के अनुसार
4	प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग	पदेन सदस्य, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(3) के अनुसार
5	प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	पदेन सदस्य, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(3) के अनुसार
6	प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य पदानुसार, सचिवालय, लखनऊ—226001
7	प्रमुख सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य पदानुसार, संचिवालय, लखनऊ—226001
8	प्रमुख सचिव नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य पदानुसार, सचिवालय, लखनऊ—226001
9	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	सदस्य पदानुसार, शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001
10	प्रबन्ध निदेशक, मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लि0	सदस्य पदानुसार, मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 4ए—गोखले मार्ग, लखनऊ
11	निदेशक, नेडा	सदस्य पदानुसार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226010
12	निदेशक वाणिज्य एवं योजना, (उ० प्र० पावर ट्रांसमीशन कारपोरेश लि०)	सदस्य, पदानुसार, शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001
13	सुश्री दीपा जनानी	सदस्य, वरिष्ठ संवाददाता, फाईनेन्शियल एक्सप्रेस, लखनऊ
14	श्री अवधेश कुमार वर्मा	सदस्य, अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद, ए–1391/7, इन्दिरा नगर, लखनऊ
15	श्री रेजी पिल्लई	सदस्य, अध्यक्ष, इंडियन स्मार्ट ग्रिंड फोरम, सीबीआईपी बिल्डिंग, मालचा मार्ग, चाणक्यपुरी,

		नई दिल्ली।
16	प्रबन्ध निदेशक, मेट्रो रेल कारापोरेशन, लखनऊ	सदस्य, पदानुसार, 2/62यू, लोहिया पार्क रोड, विशाल खण्ड 2, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0 प्र0—226010
17	सीआईआई / आईआईए / पीएचडीसीसीआई / एसो चैम (चक्रानुसार)	सदस्य, अध्यक्ष अथवा उनके वरिष्ठ प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश राज्य परिषद, कान्फ्रीडेशन आफ इण्डियन इण्डस्ट्री, प्लाट —ए, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226010 अध्यक्ष अथवा उनके वरिष्ठ प्रतिनिधि, आईआईए, केन्द्रीय कार्यालय, आईआईए भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226010 क्षेत्रीय निदेशक अथवा उनके वरिष्ठ प्रतिनिधि, पीएचडी चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, पीएचडी हाउस, समीप अपना बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226010 स्मृति भवन, आर, विपुल खण्ड 6, गोमती नगर, लखनऊ—226010
18	शक्ति सस्टेनेबिल एनर्जी फाउन्डेशन	सदस्य, शक्ति सस्टेनेबिल एनर्जी फाउन्डेशन, द कैपिटल कोर्ट, 104बी, चौथा तल, मुनिरका फेज III, नई दिल्ली—110067
19	निदेशक / प्लाण्ट हेड, प्रयागराज / रोजा / ललितपुर / लैन्को , (चक्रानुसार) आईपीपी के प्रतिनिधि के रूप में	सदस्य
20	डा० भरत राज सिंह, डी०जी०	सदस्य, डी०जी०, स्काई हाई चैम्बर, द्वितीय तल, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ—226001 (उ०प्र०)

उपरोक्त के साथ ही आयोग द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में देश के किन्हीं दो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों तथा ऊर्जा क्षेत्र से सम्बन्धित मुददों का व्यापक अनुभव रखने वाले विख्यात अधिवक्ता को आमंत्रित करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा, जिनको आने जाने के लिये वायुयान का वास्तविक किराया अनुमन्य होगा।

राज्य सलाहकार समिति की बैठकों के लिए सचिव उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग संयोजक होंगे। यह आदेश इस आशय से जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे कि यह आदेश विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87(1) के तहत अधिसूचित किये जायेंगे तथा इससे पूर्व जारी हुये राज्य सलाहकार समिति के गठन के आदेश तदनुसार अवक्रमित हो जायेंगे।

आयोग की आदेशानुसार

संजय कुमार सिंह